समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

R - 2047 - I/12

प्रकरण क्र. /निगरानी/12

ग्रामवासीगण धामन्या द्वारा-
1. नन्दलाल आ0 श्री भवरलाल
2. केसरसिह आ0 श्री बालू सिहं
3. भवरलाल आ0 श्री देवी लाल
4. वीरमसिहं आ0 श्री रूपसिहं
5. प्रेमसिह आ0 श्री भवरलाल

सभी निवासीगण ग्राम धामन्या तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रूपसिंह आ0 श्री गगांराम
निवासी ग्राम धामन्या तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ म0प्र0

........अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अनुविभागीय तहसील खिलचीरपुर जिला राजगढ द्वारा प्रकरण क0 05/अ-6/11-12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22/12/11 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम धामन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ म0प्र0 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 247/6/1 रकवा 1.263 हेक्टयर भूमि के नामान्तरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अधिनस्थ तहसील न्यायालय से निवेदन किया कि उसके चाचा शकंर का स्वर्गवास हो चुका है इसलिये उक्त भूमि का नामान्तरण अनावेदक के पक्ष में किया जावे अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने नियमानुसार प्रकरण दर्ज करते हुए इश्तहार जारी किया गया । जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक गण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कि गयी कि सर्वे क्रमांक 247/6/1 रकवा 1.263 हेक्टयर भूमि का उपयोग ग्राम वासीयो द्वारा मरघट के रूप में किया जाता है । तथा पुर्व उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मरघट के रूप में दर्ज थी परन्तु शंकर द्वारा उक्त भूमि का पट्टा अवैधानिक रूप से अपने नाम पर करवा लिया । इसलिये अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए विवादित भूमि को पुर्ववत मरघट के रूप में दर्ज किया जावे । अधिनस्थ तहसीला न्यायालय

....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2047/एक/2012 जिला राजगढ

ग्रामवासीगण धामन्या द्वारा नन्दलाल आदि विरुद्ध रूपसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर, जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक- 05/अ-6/2011-12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22/12/2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	